न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 87/2018 दायरा दिनांक : 09.05.2018

उनवान

नसीम बानों पत्नी श्री असगर अली, आयु 45 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कालोनी, मांगरोल रोड़, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– सईदा पुत्री मोहम्मद अली पत्नी फरीद अहमद, आयु 42 वर्ष, जाति मुसलमान, निवासी तालाब पाड़ा, बारां, जिला बारां

2– नूर मोहम्मद पुत्र श्री रहमान, जाति मुसलमान, निवासी करीम नगर वार्ड नम्बर 4 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

3– अब्दुल सत्तार पुत्र श्री रहमान, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 17 लाडपुरा कर्बला कोटा, जिला कोटा

4– लाल मोहम्मद पुत्र श्री रहमान, जाति मुसलमापन, निवासी मदारशाह की बाड़ी वार्ड नम्बर 5 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

5– सईद अहमद पुत्र श्री रहमान, जाति मुसलमान, निवासी करीम नगर वार्ड नम्बर 4 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

6– अब्दुल बारी पुत्र श्री रजाक, जाति मुसलमान, वार्ड नम्बर 13 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

7– फरीद अहमद पुत्र श्री रजाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नम्बर 17 लाडपुरा कर्बला, कोटा जिला कोटा

8– अब्दुल रहीम पुत्र श्री वजीर, जाति मुसलमान, वार्ड नम्बर 5 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

9– मोहम्मद रमजान पुत्र श्री मोहम्मद इब्राहित, जाति मुसलमान, वार्ड नम्बर 7 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

10– फातमा बाई बेवा मोहम्मद इब्राहिम, जाति मुसलमान, वार्ड नम्बर 7 मांगरोल, तहसील मांगरोल, जिला बारां

11– मुख्तार अहमद पुत्र स्वर्गीय श्री सिराज मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, मांगरोल रोड़, तहसील मांगरोल, जिला बारां

12– मेहबूत (साईकिल वाले) पुत्र स्वर्गीय सिराज मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी नयापुरा, बारां, जिला बारां

13– अल्ताफ हुसैन पुत्र श्री यासीन मोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, मांगरोल रोड़, तहसील मांगरोल, जिला बारां

14– असगर अली पुत्र श्री मोहम्मद अली, जाति मुसलमान, निवासी श्रमिक कॉलोनी, मांगरोल रोड़, तहसील मांगरोल, जिला बारां

15– गायत्री बाई पत्नी श्री जमनालाल, जाति मीणा, निवासी बलदेवपुरा, तहसील मांगरोल, जिला बारां

16– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री हरिओम चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री धर्मेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.02.2020**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 30/2016 निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एक तरफा एवं तथ्यों, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं विधि प्रक्रिया सरियत के उत्तराधिकारी प्रावधानों से असंगत, विधि

विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अपीलांटा ने मृतक इकबाल हुसैन के हिस्सें की आराजियात उनके विधिक वारिसान से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.05.2012 को साल लाख रूपये प्रतिफल अदा कर क्रय की थी । अपीलांटा सद्भावी क्रेता है । पति असगत अली रेस्पोडेंट क्रम 15 ने अपने खाते की विरासतन प्राप्त आराजी को अपीलांटा को जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 03.05.2016 से दान कर दिया । अपीलांटा विवादित आराजी की पूर्ण मालिक स्वामी है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री से अपीलांटा के हक हकूक प्रभावित होने से अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को अपील पेश का चुनौती दे रही हे । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटा को सूचना व सुनवायी का अवसर दिये एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वादिया द्वारा प्रस्तुत वाद तत्सयम के राजस्व रेकार्ड में असंगत तथ्यहीन होते हुए भी उक्त वाद को एक तरफा वादिया के हक में निर्णित करने में विधिक त्रुटि की है । विवादित आराजी पूर्वज कादर बक्श के खातेदारी की थी जो उनकी मृत्यु के उपरान्त फौती नामान्तरकरण से कादर बक्श के पौत्र इकबाल हुसैन व अजगर अली को जर्ये विरासतन प्राप्त हुई है । यासीन मोहम्मद की चार पुत्रियां एवं वादिया सईदा ने आपस में श्रमिक कॉलोनी बांरा के मकान पर एकत्रित होकर अपने हक हिस्से के रूप में पांचों ने एक एक लाख रूपये प्राप्त कर उक्त आराजियात से अपने हक हकूकों को तर्क कर शपथ पत्र आलेखित करवाये । सईदा द्वारा निष्पादित शपथ पत्र मूल ही सईदा के पास था । सईदा अपने हक हिस्से के रूप में एक लाख रूपये नगद प्राप्त कर अपने हक हकूकों को तर्क कर चुकी हे । सईदा के उक्त विवादित आराजी में कोई अधिकार नहीं बचे हैं मात्र बेईमानी पूर्वक मिथ्या एवं बनावटी आधारों पर उक्त वाद पेश किया है जो विधितः संधारणीय नहीं होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात में मृतक इकबाल हुसैन का हिस्सा अपीलांटा ने मृतक इकबाल हुसैन के वारिसान से जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय कियाक है और अजगर अली ने अपने हक हिस्से एवं

खाते की आराजियात अपीलांटा को जर्ये रजिस्टर्ड दान पत्र से दान की है । इस कारण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं दान पत्र को निरस्त एवं शून्य घोषित कर वादिया का हकूकों का निर्धारण करने का राजस्व न्यायालय को कोई क्षेत्राधिकार नहीं होने से वाद वादिया विधितः संधारणीय नहीं है । अपीलांटा एवं रेस्पोडेंटगण मुस्लिम है और शरीयत कानून से शासित है । शरीयत अनुसार ही मुस्लिम विधि में वर्णित उत्तराधिकार अनुसार ही विरासत का निर्धारण होता है । वादिया ने शरीयत मुताबिक विवादित आराजी में अपने हक हिस्से के तथ्यों को छिपाकर वाद पेश किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने भी शरीयत कानून अनुसार विरासत का निर्धारण न कर विधि की भारी भूल की है । अस्तु निर्णय व डिक्री अधीनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 09.03.2018 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपील मे तथ्य प्रमाणित हैं, मुस्लिम विधि के अनुसार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है, साथ ही एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है, जिससे हिस्से के सम्बन्ध में सही निर्णय पारित करने में बाधा उत्पन्न होती है । अतः हम प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः विधि सम्मत सुनवायी कर निर्णय करने हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 27.03.2018 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया

जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.05.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2020 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा